

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डौन जिला करौली

समा नं० 202/2023

I.D. 430/2023

तारीख रजू :- 19.9.2023

दावा बाबत घोषणा खातेदारी व इन्द्राज दुरुस्ती
 ल आई0डी0 नम्बर 2023/
 स.जैन फाउण्डेशन ट्रस्ट जरिए अध्यक्ष राजकुमार जैन पुत्र श्री रमेशचंद जैन जाति जैन
 सी ए 202 आम्रपाली सफायर, सैक्टर 45 नोएडा(यू0पी0)-201301

---वादी

बनाम

श चंद जै (एम.सी.जैन) जाति जैन वगै० भूतपूर्व सदस्य, पी.एस.जैन फाउण्डेशन ट्रस्ट c/o
 ला देवी जैन निवासी ए 202 आम्रपाली सफायर, सैक्टर 45 नोएडा(यू0पी0)-201301

---प्रतिवादीगण-09

दिनांक फर्द अहकाम

19.9.23 यह दावा वादी की ओर से श्री पी.एल.गोयल एडवोकेट के जरिए पेश हुआ, प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए नोटिस तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 19.10.2023 को पेश हो।

(सुरेश कुमार हरसोलिया)
 उपखण्ड अधिकारी
 हिण्डौन जिला करौली

16/10/23

पत्रावली के अंतर्गत तलबी के प्रा० पत्र पर
 पेश हुई। वादी वकील ने जवाब देकर कहा कि
 वादी उल्लंघन करने नहीं चलाया चाहता है।
 वादी उल्लंघन नोटिस के उत्तर देकर
 आया है। अतः सुनार 202/23 दावा पी.एस.
 जैन का उल्लंघन ट्रस्ट जरिए अध्यक्ष राजकुमार वगै०
 रमेशचंद जैन नोटिस के उत्तर देकर पेश
 है। पत्रावली के अंतर्गत सुनार के अंतर्गत

Not Pres
 को अंतर्गत

उपखण्ड अधिकारी
 हिण्डौन सिटी (करौली)